यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उधमसिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उधमसिंह नगर के माह 07/2014 से 07/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं विजय कुमार, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.06.2016 से 28.06.2016 तक श्री शशि कान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री प्रभाकर दुबे, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रितांशु श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.07.2014 से 18.07.14 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2012 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 07/2014 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– निर्माण कार्य रूद्रपुर एवं काशीपुर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (–) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | | |
| 2013–14 | 0 | 196512606.47 | 177446763.00 | 17746763.00 | 431901977.00 | 375746595.00 | 0 | 0 |
| 2014–15 | 0 | 252667988.47 | 20874700.00 | 20329315.00 | 283559339.00 | 306180136.00 | 0 | 545384.00 |
| 2015–16 | 0 | 230047191.47 | 22106163.00 | 22106163.00 | 235447721.00 | 291166374.00 | 0 | 174328538.47 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण।

(धनराशि ` लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रा0 अवशेष | प्राप्त | व्यय अधिक्य (+) | बचत (–) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | | 22.50 | 1668.52 | 1257.68 | 433.34 |
| 2014–15 | | 433.94 | 823.11 | 1148.23 | 108.82 |
| 2015–16 | | 108.82 | 289.13 | 272.09 | 125.86 |

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश, राज्यांश एवं सांसद निधि मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधम सिंह नगर अ श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः लेखा परीक्षा में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधम सिंह नगर की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निर्माण सम्बन्धी कार्यो का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन माह 03/2015 एवं माह 05/2016 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर किया गया।

(v) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग **II** अ

–शून्य–

## भाग **II** ब

प्रस्तर 1:– ` 40.97 लाख का अनियमित व्यय।

प्रस्तर 2:– सही आंकलन प्रस्तुत न करने के कारण परियोजना पर ` 27.47 लाख की लागत की वृद्धि एवं बिना अनुमति के अनुबन्ध के कार्यो में ` 54.25 लाख का वैरिएशन करना।

प्रस्तर 3:– ` 157.76 लाख के कार्यो की धनराशियों को परिवर्तित किया जाना।

प्रस्तर 4:– ` 49.28 लाख की धनराशि का निष्प्रयोज्य पड़े रहना।

प्रस्तर 5:– रोकड़ बही न बनाया जाना एवं ` 19.43 लाख की राशियों की रोकड़ बही में प्रविष्टी न किया जाना।

प्रस्तर 6:– इण्डोर हाल निर्माण में ` 4.97 लाख की वैरियेशन साथ ही ठेकेदार से ` 7.54 लाख की वसूली का बकाया रहना।

प्रस्तर 7:– विगत चार वर्ष से 24 पूर्ण योजनाओं की अवशेष धनराशि ` 41.51 लाख का अवरूद्ध रहना।

## भाग - **III**

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

| निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या | भाग II अ प्रस्तर संख्या | भाग II ब प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 27/2000–01 | – | 1 |
| 09/2001–02 | – | 1 |
| 37/2004–05 | 1 | – |
| 78/2005–06 | 1 | 2, 3 |
| 33/2009–10 | – | 1 |
| 100/2011–12 | – | 1, 2, 3 |
| 45/2014–15 | – | 1, 2, 3, 4 |

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| .....शून्य..... | | | | |

## भाग - **IV**

.....शून्य.....

## भाग-V

## आभार

1 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थपना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभीलेख एवं सूचनाएं उपलध्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)

(ii) ..... शून्य .....

(iii)

2. सतत् अनियमतिाएं :

(i) .....शून्य .....

(ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का का कार्यभार वहन किया गया :

| क्र.सं. | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | ललित मोहन | अधिशासी अभियन्ता |
| 2 | अनुपम भटनागर | अधिशासी अभियन्ता |
| 3 | विनीत कुरील | अधिशासी अभियन्ता |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं को सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, उधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

**लेखापरीक्षा अधिकारी**
**दल संख्या :03**
**ऊधमसिंह नगर**

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 1 :** ` 40.97 लाख का अनियमित व्यय।

विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का सम्पादन शासन द्वारा स्वीकृत विस्तृत आंकलन एवं तदनुक्रम में जारी शासनादेश में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्पन्न होना चाहिए। स्वीकृत कार्य की मात्राओं में परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होता है। परन्तु अतिरिक्त कार्य (नमी प्रकृति का कार्य) का समावेशन या Exclusion पूर्व में स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकार (विस्तृत आंकलन पर) अर्थात् शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ऊधमसिंह नगर के निर्माण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन के पत्रांक 1747/XXIV-3/07/02 (125)/2006 दिनांक 16.01.2008 के द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज वंडिया, खटीमा में भवन निर्माण के प्राक्कलन 245.30 लाख को टी.ए.सी. द्वारा परीक्षोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

तदनुक्रम में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तीन (अनुबंध लागत ` 41,70,291.00), 01/एस.ई./ग्रा.अ.से./2013–14 (अनुबंध लागत ` 4508117.59) एवं 14/एस.ई./ग्रा.अ.से./2014–15 (अनुबंध लागत ` 13667142.25) किये एवं क्रमशः दिनांक 24.10.2009, 06.05.2013 एवं 31.10.14 को श्री प्रेम कुमार एसोशिएट किच्छा रोड सितारगंज उधमसिंह नगर को कार्यादेश जारी किये गये।

प्रथम अनुबंध (` 4170291.00) Schedule B के में उल्लिखित 16 कार्यों में से 10 कार्य अनुबन्धित मात्रा से कम कराये गये, दो कार्य बिल्कुल ही नहीं कराये गये (जिसमें से एक Saptic tank बनने से सम्बन्धित था। कम कराये गये कार्यों की मात्रा 60 प्रतिशत से लबेर 52 प्रतिशत तक थी। अधिक मात्रा में कराये गये 04 कार्यों का प्रतिशत 12.57 प्रतिशत से लेकर 284.53 प्रतिशत तक था।

उपरोक्त Variation के बारे में एवं Septic Tank नहीं बनाने के कारणों के सम्बन्ध में विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसा निर्माण स्थल की आवश्यकता और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किया गया एवं Septic Tank के कार्य Variation above 201 होने के कारण नहीं किया।

विभागीय आख्या अस्वीकार्य ही क्योंकि उत्तर तर्कसंगत नहीं है। पुनः उल्लेखनीय है कि Variation above 20% सक्षम प्राधिकारी (अनुबन्धतकर्ता अधिकारी अर्थात् अधीक्षण अभियन्ता से उच्च स्तर का होना आवश्यक है से अनुमोदित नहीं है एवं उक्त Variation Statement के बिन्दु (5) (7) एवं (8) में दिखाया गया प्रतिशत वैरिएशन गलत है पुनश्च Variation below 20% भी अनुबंधकर्त्ता अधिकारी अर्थात अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित होना चाहिए था। उक्त अनुबंध के कार्य ये कुल Variation ` 21,06,555.84 (984208.49 + 946708.52 + 116329.19 + 59309.64 )का स्पष्ट है।

इसी प्रकार द्वितीय अनुबंध (` 4508117.09) के Schedule-B में वर्णित 18 कार्यों में से कुल 9 कार्यों में अनुबन्धित मात्रा से अधिक कार्य (25 प्रतिशत से 120 प्रतिशत) और शेष 9 कार्यों में अनुबन्धित मात्रा से कम कार्य (from 13.4% to 90.61%) कराये गये।

सम्प्रेक्षा में Variation etc. सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि स्थल की स्थिति के अनुसार कम अधिक मात्रा में कार्य हो जाता है। परन्तु सम्पूर्ण कार्य स्वीकृत धनराशि के अनुसार किया गया।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि अप्रासंगिक एवं तर्क संगत नहीं है। पुनः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये Variation Ssatement में सिर्फ 02 कार्यों के Variation below 20% पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। शेष Variation के बारे में विभाग उत्तर देने में असमर्थ रहा। इस अनुबंध के सापेक्ष हुये कार्य की मात्रा में कुल Variation ` 19,90,972.64 था जो अनुनुमोदित था। (संलग्नक 'क')

उपरोक्तानुसार बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्ति किये अनुबंधों में वर्णित कार्यों की मात्रा के सापेक्ष वास्तविक कार्यों की मात्रा में Variation का प्रकरण ` 4097428 (` 2106555.84+` 1990872.64) आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 :– सही आंकलन प्रस्तुत न करने के कारण परियोजना पर ` 27.47 लाख की लागत की वृद्धि एवं बिना अनुमति के अनुबन्ध के कार्यो में ` 54.25 लाख का वैरिएशन करना।

उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार कास्ट ओवर रन को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति को दो चरणो में दिये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में परियोजना पर वित्त विभाग से सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रक्रियात्मक कार्यो जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तान्तरण, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट इन्यादि कार्यो सम्बन्धी आगणन पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी तथा दूसरे चरण में परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी। प्रशासकीय विभाग एवं कार्यदायी संस्था के साथ तैयार किये गये एम0ओ0यू0 की शर्तों के अनुसार परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा एवं परियोजना को पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षित की अनुमति नहीं दी जायेगी। कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य आरम्भ न किया जाए। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा। साथ ही अनुबन्ध करने वाला अधिकारी अनुबन्ध परिणामों में भिन्नता होने की स्थिति में अधिकतम 20 प्रतिशत तक भिन्नता को ही अनुमोदित कर सकता है। इससे अधिक भिन्नता होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता अधिकारी को अपने से उच्च अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल, नैनीताल द्वारा योजना की स्वीकृत लागत ` 117.72 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (दि0 19.12.2013) प्रदान करते हुए दिनांक 22.01.14 को ` 54.87 एवं दिनांक 22.08.14 को ` 62.85 लाख कुल `117.72 लाख इकाई को उपलब्ध करा दिये गये थे। उक्त निर्माण कार्य दिनांक 10.02.14 को प्रारम्भ कर दिनांक 09.02.16 तक पूर्ण किया जाना था।

इकाई द्वारा उक्त आंगणन में तत्समय डिजाईन के अभाव में विभिन्न मदों को अनुमान के तौर पर गठित कर प्रस्तुत किया गया था एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त हॉल की ड्राईंग–डिजाईन एवं पहुॅच मार्ग का प्रावधान जोकि मूल आगणन में नहीं था जिसे शामिल करने से कुछ मदों जैसे आर0सी0सी0, सरिया एवं ट्रस आदि की मात्राओं में वृद्धि हो गयी का उल्लेख करते हुए पुनरीक्षित आंगणन ` 145.47 लाख (145.47–118.00 = ` 27.47 लाख अधिक) का गठित कर टी0ए0सी0 करने के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को प्रस्तुत किया गया (15 मई 2015)। 15 मई 2015 से लेखा परीक्षा तिथि जुलाई 2016 तक लगभग एक वर्ष तीन माह व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त कार्य पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई एवं पुनरीक्षित शेष धनराशि ` 27.47 लाख प्राप्त न होने के कारण लेखा परीक्षा तिथि माह 07/2016 तक मात्र 80 प्रतिशत कार्य ही किया जा सका है।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि कार्यो के परिणामों में 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता की उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बगैर ` 28,77,060 का अधिक का कार्य कराया गया एवं अनुबन्ध के अनुसार ` 26,02,155 के कार्यों को कराया ही नहीं गया एव इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से कोई पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी। विवरण निम्नवत है।

(1) अनुबन्ध से अधिक मात्रा में किये गये कार्यों का विवरण।

| S.No | Particulars | Unit | Qnt. As per Bond | Qnt. As per M.B. | Differenc | Rate | T. Amt. | Diff. in percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavation by mechanical mean | Cum | 303.95 | 372.97 | 69.02 | 167.10 | 11,533 | 22.78 |
| 2 | Providing and laying in position | Cum | 118.88 | 174.47 | 55.59 | 3201.50 | 177971 | 46.76 |
| 6 | 1:1:5:3 (1 cement: 1.5 cores sand : 3) | Cum | 28.22 | 54.60 | 26.38 | 5574.20 | 147047 | 93.47 |
| 7 | RCC 1:1:5:3 for slab beam band | Cum | 74.93 | 101.67 | 26.74 | 5514.10 | 147447 | 35.68 |
| 9 | Centering and shuttering including | Sqm | 242.83 | 528.36 | 285.53 | 335.30 | 95738 | 117.58 |
| 10 | Lintel, beams, plinth beams, girder | Sqm | 347.65 | 573.22 | 225.57 | 256.60 | 57881 | 64.88 |
| 11 | Suspended floor, roof, landing | Sqm | 285.56 | 341.52 | 55.96 | 301.00 | 16844 | 19.60 |
| 14 | Earth Filling in plith, trenches, plin | Cum | 509.91 | 616.05 | 106.14 | 255.00 | 27065 | 20.81 |
| 15 | S/Filling in plinth of local sand under | Cum | 116.54 | 265.97 | 149.43 | 770.60 | 115150 | 128.22 |
| 16 | 12 mm thick cement plaster 1:6 cemen | Sqm | 1106.36 | 1468.56 | 362.2 | 111.30 | 40313 | 32.73 |
| 18 | Reinforcement for RCC work | Qtl | 190.21 | 313.17 | 122.96 | 6700 | 823832 | 64.64 |
| 19 | Structural steel work riveted | Qtl | 84.12 | 223.11 | 138.99 | 8010.00 | 1113310 | 165.22 |
| 20 | Providing and laying in positon | Cum | 2.36 | 13.43 | 11.07 | 4374.90 | 48430 | 469.07 |
| Total | | | | | | | 2822561 | |

(2) अनुबन्ध में दर्शाये गये कार्य जो नहीं किये गये।

| S.No | Particulars | Unit | Qnt. As per Bond | Rate | T. Amt. |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Providing and fixing in position | Sqm | 20.40 | 4823.00 | 98389 |
| 25 | Providing and fixing of ISI marked 35 | Sqm | 51.90 | 1578.00 | 81898 |
| 27 | Finishig walls with Deluxe Multi | Sqm | 1106.36 | 90.60 | 100236 |
| 28 | Providing and aplying plaster of | Sqm | 1106.36 | 90.80 | 100457 |
| 29 | Distempering with oil bound washable | Sqm | 1106.36 | 83.20 | 92049 |
| 32 | Providing and fixing ISI marked | No | 78 | 100.20 | 7816 |
| 33 | Providing and fixing aluminium | No | 13 | 174.70 | 2271 |
| 34 | Providing and fixing aluminium | No | 13 | 65.30 | 849 |
| 35 | Providing and fixing aluminium | No | 13 | 29.10 | 378 |
| 36 | Providing and fixing aluminium | No | 13 | 63.60 | 827 |
| 37 | Providing and fixing aluminium | No | 13<br>13 | 88.30<br>60.30 | 1148<br>784 |
| 38 | Forming groove of uniform size | RM | 1295.50 | 24.60 | 31869 |
| 41 | Providing and laying pressed | Sqm | 188.50 | 549.70 | 103618 |
| 44 | Providing and fixing false ceiling | Sqm | 650.01 | 326.00 | 211903 |
| 45 | S/f of 19 mm thick 70 mm wide | Sqm | 211.70 | 7801.00 | 1651472 |
| 46 | Making soak pit 2.5 m diameter | No | 2 | 13621.60 | 27242 |
| 49 | P/F of white vitreous china flate | No | 2 | 5576.50 | 11153 |
| 50 | P/F mirror of superior glass | No | 4 | 2586.00 | 10344 |
| 51 | Constructing masonry Chamber | No | 4 | 5220.70 | 20880 |
| 52 | Providing and placing on terrace | No | 4 | 3850.00 | 15400 |
| 54 | S/F 20 mmG.I. pipe line complete | RM | 24 | 205.50 | 4932 |
| 55 | S/F 25 mm G.I. pipe line complete | RM | 48 | 273.30 | 13118 |
| 56 | S/F 15 mm C.P. brass bib cock | No | 12 | 293.20 | 3518 |
| 57 | S/F 15 mm dia C.P. brass stop | No | 16 | 293.20 | 4691 |
| 58 | Providing and fixing soil, waste and | RM | 6 | 818.90 | 4913 |
| Total | | | | | 2602155 |

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि प्रारम्भिक आगणन ग्राहक की आवश्यक्तानुसार अनुमानित तौर पर तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। चूंकि कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं थी जिस कारण भवन का डिजाइन बाद में कराया गया जिस कारण मदों में वृद्धि हुई। ` 28,22,561 के कार्य 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता पर कराये जाने के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि इस सम्बन्ध में ठेकेदार के अन्तिम देयक के समय सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं ` 26,02,155 के कार्य अनुबन्ध के अनुसार नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि धनाभाव के कारण ये कार्य नहीं कराये गये।

आगणन में डिजाइन को अनुमान के तौर पर प्रस्तुत किये जाने का इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना पर स्वीकृति दो चरणों में दी जाती है। प्रथम चरण में प्रक्रियात्मक कार्यो पर स्वीकृति एवं दूसरे चरण में परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमान के तौर पर मदों को शामिल कर स्वीकृत नहीं की जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर बिना शासन के संज्ञान में लाये कोई भी

संशोधन मान्य नहीं है। साथ ही विभाग का यह उत्तर भी मान्य नहीं है कि कार्य हेतु इकाई के पास धनराशि उपलब्ध नहीं थी जबकि इकाई को दिनांक 22.01.14 को ` 54.87 एवं दिनांक 22.08.14 को ` 62.85 लाख कुल धनराशि ` 117.72 लाख उपलब्ध करायी जा चुकी थी। यदि डिजाइन में परिवर्तन आवश्यक था तो प्रथम किश्त प्राप्त होते ही संशोधित प्राक्कलन तैयार कर अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था जबकि इकाई द्वारा दिनांक 15 मई 2015 (01 वर्ष 04 माह पश्चात) को संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त संशाधित प्राक्कलन पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः इकाई द्वारा परियोजना पर सही आंकलन प्रस्तुत न करने के कारण ` 27.47 लाख की लागत का बढ़ने एवं बिना अनुमति के अनुबन्ध के कार्यो में ` 54.25 लाख का वैरिएशन करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3:– ` 157.76 लाख के अनारम्भ कार्यो की धनराशियों को अन्य कार्यशील कार्यों में व्यय किया जाना।

नियमानुसार किसी निर्माण कार्य हेतु आबंटित धनराशि को उन्हीं मदों में व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए शासन द्वारा वे आबंटित की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के अन्तर्गत कार्यो की भौतिक प्रगति की सूचना माह 03/2015 एवं माह 03/2016 की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार दर्शाये गये कार्यो के बचत की राशियों ` 79.77 लाख + ` 77.99 लाख (` 157.76 लाख) को विभाग को मूलतः वापस ना कर उन्हें अन्य कार्यों पर व्यय किया गया। विवरण निम्नवत है।

1. भौतिक प्रगति माह 03/2016 के अनुसारः–

| क्र0 | कार्य का नाम | टिप्पणी | जिस कार्य से समायोजित की गयी | राशि ` लाख में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0क0इ0का0 जसपुर में कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण (जसपुर) | कार्य पूर्ण | प0क0उपकेन्द्र भजपुरी से समायोजित | 5.99 |
| 2 | रा0जू0हा0 बसई में कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण (जसपुर) | कार्य पूर्ण | प0क0उपकेन्द्र खेमपुर से समायोजित | 5.99 |
| 3 | रा0इ0का0 दरऊ में 04 कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण (रूद्रपुर) | कार्य पूर्ण | आंगनबाड़ी केन्द्रों में नाम पट्टीका से समायोजित | 17.23 |
| 4 | रा0जू0हा0 बिचुवा में दो कक्षा कक्ष का निर्माण (सितारगंज) | कार्य पूर्ण | आंगनबाड़ी केन्द्रों में नाम पट्टीका से समायोजित | 2.00 |
| 5 | 210 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नाम पट्टिका स्थापित करने का कार्य | कार्य नहीं होना | रा0जू0हा0 बिचुवा, परि0क0उ0 नागलापन्तनगर एवं रा0इ0का0 दरऊ से समायोजित | 2.00<br>17.23 |
| 6 | परिवार कल्याण उपकेन्द्र बानुसी का निर्माण कार्य (खटीमा) | कार्य नहीं होना | परि0क0उपकेन्द्र परमानन्दपुर में समायोजित कर व्यय | 5.95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | परिवार कल्याण उपकेन्द्र भुडाई का निर्माण कार्य (खटीमा) | कार्य नहीं होना | परि0क0उपकेन्द्र बासखेड़ा में समायोजित कर व्यय | 5.95 |
| 8 | परिवार कल्याण उपकेन्द्र खेतनसण्डा का निर्माण कार्य (खटीमा) | कार्य नहीं होना | परि0क0उपकेन्द्र हेमपुरदया में समायोजित कर व्यय | 5.95 |
| 9 | परिवार कल्याण उपकेन्द्र पण्डरी का निर्माण कार्य (सितारगंज) | कार्य नहीं होना | परि0क0उपकेन्द्र जाशेमझरा में समायोजित कर व्यय | 5.51 |
| 10 | परिवार कल्याण उपकेन्द्र धर्मपुर का निर्माण कार्य (रूद्रपुर) | कार्य नहीं होना | बसघर में समायोजित की गयी | 5.97 |
| | योग | | | 79.77 |

2. माह 03/2016 के अनुसारः–

| क्र0 | कार्य का नाम | टिप्पणी | जिस कार्य से समायोजित की गयी | राशि ` लाख में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रा0उ0मा0वि0 पन्तपुरा रूद्रपुर में मुख्य भवन | कार्य पूर्ण | रा0उ0मा0वि0 मोहम्मदपुर भुरिया में धनराशि समायोजित की गयी | 10.57 |
| 2 | रा0उ0मा0वि0 चुटकी देवरिया रूद्रपुर में मुख्य भवन | कार्य पूर्ण | रा0उ0मा0वि0 मोहम्मदपुर भुरिया में धनराशि समायोजित की गयी | 10.57 |
| 3 | रा0उ0मा0वि0 बिस्सरवाला जसपुर में मुख्य भवन | कार्य पूर्ण | रा0उ0मा0वि0 मोहम्मदपुर भुरिया में धनराशि समायोजित की गयी | 10.57 |
| 4 | रा0उ0मा0वि0 मानपुर काशीपुर में मुख्य भवन | कार्य पूर्ण | रा0उ0मा0वि0 मोहम्मदपुर भुरिया में धनराशि समायोजित की गयी | 10.58 |
| 5 | प0क0उपकेन्द्र परमानन्दपुर काशीपुर का निर्माण | कार्य पूर्ण | प0क0उ0के0 बानुसी से समायोजित कर व्यय की गयी | 5.95 |
| 6 | प0क0उपकेन्द्र बांसखेड़ा का निर्माण | कार्य पूर्ण | प0क0उ0के0 भुडाई से समायोजित कर व्यय की गयी | 5.95 |
| 7 | प0क0उपकेन्द्र हेमपुर दया का निर्माण | कार्य पूर्ण | प0क0उ0के0 खेतलसण्डा से समायोजित कर व्यय की गयी | 5.95 |
| 8 | प0क0उपकेन्द्र बसगर का निर्माण | कार्य पूर्ण | प0क0उ0के0 धर्मपुर से समायोजित कर व्यय की गयी | 5.95 |
| 9 | प0क0उपकेन्द्र नगलापन्तनगर का निर्माण | कार्य पूर्ण | 210 आंगनबाड़ी केन्दों में नाम पट्टीका से समायोजित कर व्यय की गयी। | 5.95 |
| 10 | प0क0उपकेन्द्र पण्डरी का निर्माण | स्थल अप्राप्त | प0क0उ0के0 बानुसी से समायोजित कर व्यय की गयी | 5.95 |
| | | योग | | 77.99 |

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत धनराशि विभाग को उपलब्ध करायी गयी। जिसमें कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से अनारम्भ कार्यों की धनराशि को अन्य कार्यो पर समायोजित कर दिया गया। वर्तमान में विभाग को धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा अनारम्भ कार्यो के बचत की राशियों को शासन/सम्बन्धित विभाग को मूलतः वापस नहीं किया गया एवं बिना शासन/सम्बन्धित विभाग की अनुमति प्राप्त किये उन्हें अन्य कार्यो पर व्यय कर दिया गया।

अतः ` 157.76 लाख के अनारम्भ कार्यो की धनराशि के अन्य कार्यशील कार्यों में व्यय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 4 :– ` 49.28 लाख की धनराशि का निष्प्रयोज्य पड़े रहना।

उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार कास्ट ओवर रन को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति को दो चरणो में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में परियोजना पर वित्त विभाग से सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रक्रियात्मक कार्यो जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तान्तरण, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट इन्यादि कार्यो सम्बन्धी आगणन पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी तथा दूसरे चरण में परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अपर आयुक्त, (वित्त), ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्र संख्या आर–आर 2282/ 5–लेखा–112 (13–14) / 13वें वि0आ0/आ0भ0नि0/ 2014–15 दिनांक 05 फरवरी 2015 एवं दिनांक 26 फरवरी 2015 के द्वारा 13 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माण हेतु क्रमशः ` 300.33 लाख एवं ` 129.10 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। जिसमें ` 49.28 लाख के 02 निर्माण कार्य स्थल उपलब्ध ना होने के कारण प्रारम्भ नहीं कराये जा सके एवं इन कार्यो हेतु आबंटित की गयी धनराशि विभागीय खाते में निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। विवरण निम्नवत है।

| क्र0 | कार्य/योजना का नाम | विकास खण्ड | उपलब्ध धनराशि | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम विकास अधिकारी एवं कृषि सहायक हेतु टाईप द्वितीय आवास का निर्माण, पूरनपुर | जसपुर | 26.72 लाख | स्थल अप्राप्त |
| 2 | ग्राम विकास अधिकारी एवं कृषि सहायक हेतु टाईप द्वितीय आवास का निर्माण, कुण्डेश्वरी | काशीपुर | 22.56 लाख | स्थल अप्राप्त |
| योग | | | 49.28 लाख | |

सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि स्थल प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथम चरण में परियोजना पर वित्त विभाग से सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रक्रियात्मक कार्यो जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तान्तरण, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट इन्यादि पर स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। स्थल की उपलब्धता को संज्ञान में लिए बगैर इकाई द्वारा अनुबन्ध गठित कर कार्यादेश निर्गत कर दिये गये। लेखा परीक्षा तिथि तक उक्त स्थल प्राप्त नहीं किया जा सका एवं ` 49.28 लाख की धनराशि विभागीय खाते में निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है।

अतः ` 49.28 लाख की धनराशि का निष्प्रयोज्य पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 5 :– रोकड़ बही न बनाया जाना एवं ` 19.43 लाख की राशियों की रोकड़ बही में प्रविष्टी न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं0 3/xxvii(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा निदेर्शो के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों–यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे'।

कार्यालय की रोकड़ बही एवं चयनित माहों के बिल–व्हाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि स्थापना मद से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्ययों के सम्बन्ध में माह 03/2014 के पश्चात से रोकड़ बहीं का रख–रखाव नहीं किया गया है। स्थापना मद से सम्बन्धित रोकड़ बहीं का रख–रखाव नहीं किये जाने के कारण चयनित माह 02/2016 की राशि ` 5,14,390 (बी0एम0 5 के अनुसार) एवं माह 03/2015 की राशि ` 14,28,205 (बी0एम0 5 के अनुसार) कुल राशि ` 19,42,595 का रोकड़ बही से मिलान नहीं किया जा सका।

इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा की आपत्ति को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया गया कि आगे से रोकड़ बही का रख–रखाव किया जायेगा।

अतः रोकड़ बही न बनाये जाने के कारण ` 19.43 लाख की राशियों की रोकड़ बही में प्रविष्टी न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 6 : इण्डोर हॉल निर्माण में ` 4.97 लाख की वेरियेशन साथ ही ठेकेदार से ` 7.54 लाख की जमानत जमा की धनराशि शेष रहना।**

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या : 1370/बजट पत्रांक/2014–15/देहरादून दिनांक 24.03.2015 के माध्यम से टी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत इण्डोर हॉल के निर्माण हेतु टी.

एस.सी. द्वारा अनुमोदित ` 144.60 लाख जिसमें ` 129.38 लाख सिविल कार्य हेतु तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ` 15.22 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्यालय के अनुबंध संख्या–05/एस.ई./ग्रा.नि.वि./2015–16 दिनांक 09.07.2015 में ठेकेदार श्री कमर आलम एण्ड कम्पनी को कार्य सौंपा गया था। अनुबंध में कुल जमानत राशि ` 12,36,000.00 थी जिसमें ` 3,75,000.00 ठेकेदार द्वारा जमा कराया गया था एवं ` 8,61,000.00 की धनराशि प्रथम देयक से कटौती की गयी थी पर वास्तव में प्रथम देयक से ` 1,06,399.00 की कटौती की गयी थी। अर्थात् ठेकेदार से जमानत जमा की धनराशि ` 7,54,601.00 की वसूली बकाया रह गयी।

इस योजना में माह 07/2016 तक कुल ` 29.59 लाख व्यय किया गया है जिसमें भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत दर्शाया गया है परन्तु जांच में ` 4,97,070.00 राशि की वैरियेशन (Variation) परिलक्षित हो रही है जो कि कुल व्यय राशि का 16 प्रतिशत है।

सम्प्रेक्षा में पूछे जाने पर सहमति जताते हुए इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार से वसूली तृतीय देयक से की जायेगी एवं वेरियेशन से अतिरिक्त व्यय कन्टिजेन्सी से किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं हे क्योंकि ठेकेदार से जमानत जमा की धनराशि समय पर जमा नहीं करायी गयी।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 7 : विगत चार वर्ष से 24 पूर्ण योजनाओं की अवशेष धनराशि ` 41.51 लाख का अवरूद्ध रहना।**

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2013 से 2016 तक विभिन्न विभाग द्वारा प्रदत्त एवं निष्पादित 24 कार्य के लिये कुल स्वीकृत धनराशि ` 651.27 लाख के सापेक्ष व्यय ` 609.26 लाख का व्यय किया गया था एवं उक्त 24 योजनाओं के अवशेष धनराशि ` 41.51 लाख लेखाबंदी न होने के कारण सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।

सम्प्रेक्षा से इंगित करने पर इकाई द्वारा सहमति प्रदान करते हुए बताया कि शीघ्र ही हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**सामाजिक क्षेत्र**